

F फार्म डीए2 (नामांकन रद्द करना)

(स्रोत: बैंकिंग कंपनियों (नामांकन) नियम, 1985)

बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 45ZA और बैंक जमाओं के संबंध में बैंकिंग कंपनी (नामांकन) नियम, 1985 के नियम 2(5) के तहत नामांकन रद्द करना

बैंक का नाम : _____

बैंक शाखा का नाम/कोड: _____

पंजीकरण संख्या (ए) (केवल कार्यालय उपयोग के लिए): _____

मैं/हम _____
[नाम (मों) और पता (ते)], एतद द्वारा हमारे द्वारा किए गए नामांकन रद्द किए जाते हैं जो हमने

निम्न के पक्ष में किया था (नाम और पता) (जमा का विवरण दें).

जमा (ओं) की प्रकृति	विशिष्ट संख्या	अतिरिक्त विवरण, अगर कोई हो

स्थान:	
दिनांक:	¹ जमाकर्ता(ओं) के हस्ताक्षर/अंगूठे का निशान
गवाहों के नाम, हस्ताक्षर और पते	2

हस्ताक्षर (प्रथम गवाह)	हस्ताक्षर (दूसरा गवाह)		
नाम:	नाम:		
पता	पता		
मोबाइल सं:	दिनांक:	मोबाइल सं:	दिनांक:

1. जहां नाबालिग के नाम पर जमा किया जाता है, नामांकन पर कानूनी रूप से कार्य करने के हकदार व्यक्ति द्वारा नाबालिग की ओर से हस्ताक्षर किए जाने चाहिए
2. अंगूठे का निशान दो गवाहों द्वारा सत्यापित किया जाए।

पावती डीए - 2दिनांक:

हम आपके पक्ष में आपके द्वारा किए गए नामांकन को रद्द करने की रसीद स्वीकार करते हैं:

नामिती का नाम _____

आपकी खाता संख्या के संबंध में _____

पंजीकरण संख्या _____

भवदीय

मुहर के साथ बैंक अधिकारी के हस्ताक्षर